हिमाचल प्रदेश सरकार कार्मिक विभाग (नि0-।।।)

संख्याः पीईआर (एपी)-सी-ए (3)-2/2017

तारीख

शिमला—2, 18 दिसम्बर, 2017

अधिसूचना

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, हिमाचल प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों में आशुटंकक, वर्ग—III, (अराजपत्रित), लिपिक वर्गीय सेवाएं के पद के लिए, इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध—"क" के अनुसार, सामान्य भर्ती और प्रोन्नित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

| संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ और लागू होना। | 1. | (1) | इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश कार्मिक विभाग, आशुटंकक, वर्ग—III, (अराजपत्रित), लिपिक वर्गीय सेवाएं, सामान्य भर्ती और प्रोन्नित नियम, 2017 है। |
|--|----|-----|--|
| | | (2) | ये नियम राजपत्र, (ई–गजट) हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे। |
| | | (3) | ये नियम, विधान सभा सचिवालय, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के सिवाय हिमाचल प्रदेश के समस्त सरकारी विभागों को लागू होंगे। |
| निरसन और व्यावृत्तियां। | 2. | (1) | इस विभाग की अधिसूचना संख्याः पी०ई०आर० (ए०पी०)—सी० ए (३)—1/2010—।, तारीख 24 अक्तूबर, 2011 द्वारा अधिसूचित और तारीख 04 नवम्बर, 2011 को राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित हिमाचल प्रदेश कार्मिक विभाग, आशुटंकक, वर्ग—III (अराजपत्रित), सामान्य सीधी भर्ती और प्रोन्नित नियम, 2011 का एतद् द्वारा, निरसन किया जाता है। |
| | | (2) | ऐसे निरसन के होते हुए भी उपर्युक्त उप नियम (1) के अधीन इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन की गई कोई नियुक्ति, बात या कार्रवाई इन नियमों के अधीन विधिमान्य रूप में की गई समझी जाएगी। |

आदेश द्वारा,

तरुण श्रीधर अति० मुख्य सचिव (कार्मिक), हिमाचल प्रदेश सरकार।

हिमाचल प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों में आशुटंकक वर्ग—III, (अराजपत्रित), के पद के लिए भर्ती और प्रोन्नित नियम।

1. पद का नाम : आशुटंकक

2. पद (पदों) की संख्या : सरकार द्वारा समय—समय पर जितनी सम्बद्ध विभागों में मंजूर की गई हैं और मंजूर की जाएं।

3. वर्गीकरण : वर्ग-III (अराजपत्रित) लिपिक वर्गीय सेवाएं

4. वेतनमान : (I) <u>नियमित पदधारी (पदधारियों) के लिए पे</u> बैण्ड :

> (i) ₹5910—20200 /— जमा ₹ 2000 /— ग्रेड पे।

(ii) <u>दो वर्ष के नियमित सेवाकाल के</u>
<u>पश्चात्</u> ₹10300-34800 / - जमा
₹3200 / - ग्रेड पे |

(II) संविदा पर नियुक्त कर्मचारी (कर्मचारियों) के लिए उपलब्धियां: स्तम्भ संख्याः 15—क में दिए गए ब्यौरे के अनुसार ₹7910 / —प्रतिमास।

5. ''चयन'' पद अथवा ''अचयन'' पद : लागू नहीं।

6. सीधी भर्ती के लिए आयु: 18 से 45 वर्ष:

परन्तु सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा, तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्तियों सहित, पहले से ही सरकार की सेवा में रत अभ्यर्थियों को लागू नहीं होगी:

परन्तु यह और कि यदि तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त अभ्यर्थी इस रूप में नियुक्ति की तारीख को अधिक आयु का हो गया हो, तो वह उसकी ऐसी तदर्थ या संविदा पर की गई नियुक्ति के कारण विहित आयु में शिथिलीकरण का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यह और कि ऊपरी आयु सीमा में, अनुसूचित जातियों / अनुसूचित

जन जातियों / अन्य पिछडा वर्गों और व्यक्तियों के अन्य प्रवर्गों के लिए, उस विस्तार तक शिथिलीकरण किया जाएगा जितना हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष आदेश (आदेशों) के अधीन अनुज्ञेय है :

परन्तु यह और भी कि समस्त पब्लिक सेक्टर निगमों तथा स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों को, जो ऐसे पब्लिक सेक्टर निगमों तथा स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय ऐसे पब्लिक सेक्टर निगमों / स्वायत्त निकायों में आमेलन से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा में ऐसी रियायत अनुज्ञात की जाएगी जैसी सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय है। ऐसी रियायत, तथापि पब्लिक सेक्टर निगमों / स्वायत्त निकायों के ऐसे कर्मचारिवृन्द को अनुज्ञेय नहीं होगी जो तत्पश्चात् ऐसे निगमों / स्वायत्त निकायों द्वारा नियुक्त किए गए थे / किए गए हैं और उन पब्लिक सेक्टर निगमों / स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के पश्चात् ऐसे निगमों / स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के पश्चात् ऐसे निगमों / स्वायत्त निकायों की सेवा में अन्तिम रूप से आमेलित किए गए हैं / किए गए थे।

टिप्पणः सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना उस वर्ष के प्रथम दिवस से की जाएगी जिसमें पद (पदों) को, यथास्थिति, आवेदन आमन्त्रित करने के लिए विज्ञापित किया गया है या नियोजनालयों को अधिसूचित किया गया हैं।

 सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएं :

क) अनिवार्य अर्हताएं

- (i) किसी मान्यता प्राप्त स्कूल शिक्षा बोर्ड से दस जमा दो की परीक्षा पास होनी चाहिए।
- (ii) प्रारम्भिक नियुक्ति के समय दोनों भाषाओं अर्थात् अंग्रेजी और हिन्दी आशुलिपि और कम्पयूटर पर टंकण में निम्नलिखित गति अवश्य रखता हो:—

आशुलिपि में गति:-

अंग्रेजीः हिन्दीः साठ शब्द प्रति मिनट साठ शब्द प्रति मिनट

कम्पयूटर पर टंकण में गति:-

अंग्रेजीः हिन्दीः पच्चीस शब्द प्रति मिनट पच्चीस शब्द प्रति मिनट

परन्तु प्रारम्भिक भर्ती के समय अभ्यर्थी को आशुलिपि की परीक्षा विहित गति से दोनो में से किसी एक भाषा अर्थात् हिन्दी या अंग्रेजी में पास करनी होगीः

परन्तु यह और कि प्रारम्भिक भर्ती के समय अभ्यर्थियों को दोनों भाषाओं में टंकण की परीक्षा पास करनी होगी:

परन्त् यह और भी कि उस पदधारी, जिसने प्रारम्भिक भर्ती के समय आशुलिपि की परीक्षा (टेस्ट) विहित गति से किसी एक भाषा में पास कर ली है, को आशुलिपि की परीक्षा दूसरी भाषा में, नियुक्ति की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के भीतर पास करनी होगी। ऐसे अभ्यर्थी के नियुक्ति पत्र में, जिसने आश्लिपि की परीक्षा दूसरी भाषा में पास नहीं की है, यह विनिर्दिष्ट शर्त अन्तर्विष्ट होगी कि उसे दूसरी भाषा में आशुलिपि की परीक्षा तीन वर्ष की अवधि के भीतर पास करनी होगी और यदि वह तीन वर्ष की अवधि के भीतर आशुलिपि की परीक्षा पास कर लेता हैं / लेती है तो वह अपनी वार्षिक वेतन वृद्धि देय तारीख से आहरित करने का पात्र होगा / होगी और ऐसे अभ्यर्थी जो उक्त परीक्षा तीन वर्ष के पश्चात अर्हित करता है / करती है तो वह अपनी पहली वेतन वृद्धि विहित परीक्षा अर्हित करने की तारीख से ही आहरित करने का हकदार होगा / होगी।

(iii) भर्ती प्राधिकरण द्वारा यथाविहित कम्पयूटर में शब्द प्रसंस्करण का ज्ञान रखता हो।

(ख) <u>वांछनीय अर्हता (एं)</u>:

हिमाचल प्रदेश की रूढ़ियों, रीतियों और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विद्यमान विशिष्ट दशाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता।

8. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हता (अर्हताएं) प्रोन्नत व्यक्ति (व्यक्तियों) की दशा में लागू होंगी या नहीं :

लागू नहीं।

- 9. परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो :
- (क) दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनिधक ऐसी और अविध के लिए विस्तार किया जा सकेगा, जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और कारणों को लिखित में अभिलिखित करके आदेश दे।
- (ख) संविदा के आधार पर, सेवाधृति के आधार पर नियुक्ति पर, अधिवर्षिता के पश्चात् पुनर्नियोजन पर और आमेलन पर कोई परिवीक्षा नहीं होगी।
- 10. भर्ती की पद्धित : भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नित / सैकण्डमैंट / स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धितयों द्वारा भरे जाने वाले पद (पदों) की प्रतिशतता :

शतप्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा, यथास्थिति, नियमित आधार पर या संविदा के आधार पर भर्ती द्वारा।

- 11 प्रोन्नति / सैकेण्डमैंट / स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ (ग्रेड) जिनसे प्रोन्नति / सैकेण्डमैंट / स्थानान्तरण किया जाएगाः
- लागू नहीं।

- 12. यदि विभागीय प्रोन्नति / स्थायीकरण सिमति विद्यमान हो तो उसकी संरचना :
- (क) विभागीय प्रोन्नित समितिः लागू नही।
- (ख) <u>विभागीय स्थायीकरण समितिः</u> जैसी सरकार द्वारा समय—समय पर गठित की जाए।
- 13. भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगाः

जैसा विधि द्वारा अपेक्षित हो।

14. सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षा : किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है।

15. सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन :

सीधी भर्ती के मामलें में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, लिखित परीक्षा के गुणागुण तथा इन नियमों से संलग्न परिशिष्ट—। में यथा विनिर्दिष्ट रीति के अनुसार मूल्यांकन के आधार पर किया जाएगा या यदि, यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग या अन्य भर्ती अभिकरण/प्राधिकरण ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे तो लिखित परीक्षा के गुणागुण और इन नियमों से संलग्न परिशिष्ट—। में यथा विनिर्दिष्ट रीति के अनुसार मूल्यांकन तथा पूर्व में ली गई छंटनी परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार की) या व्यावहारिक परीक्षा या दक्षता परीक्षा या

शारीरिक परीक्षण के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर/ पाठ्यक्रम आदि, यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग/अन्य भर्ती अभिकरण/प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जाएगा।

15—क संविदा नियुक्ति द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयनः

इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी पद पर संविदा नियुक्ति नीचे दिए गए निबन्धनों और शर्तो के अध्यधीन की जाएंगी:—

(I) <u>संकल्पनाः</u>

(क) इस पॅालिसी के अधीन हिमाचल प्रदेश......(विभाग का नाम) में आशुटंकक को संविदा के आधार पर प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए लगाया जाएगा जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर बढाया जा सकेगा:

परन्तु संविदा अविध में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण / नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष यह प्रमाण-पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण वर्ष के दौरान संतोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा की अविध नवीकृत / विस्तारित की जाएगी।

- (ख) विभागाध्यक्ष (नियुक्ति प्राधिकारी का नाम), रिक्त पद (पदों) को संविदा के आधार पर भरने के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् अध्यपेक्षा को, सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग, हमीरपुर के समक्ष रखेगा।
- (ग) चयन इन नियमों में विहित पात्रता शर्तो के अनुसार किया जाएगा।

(II) संविदात्मक उपलब्धियां:

संविदा के आधार पर नियुक्त आशुटंकक को ₹7910/- की दर से समेकित नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैण्ड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। यदि संविदा में एक वर्ष से अधिक की बढ़ौतरी की जाती है, तो पश्चात्वर्ती वर्ष / वर्षों के लिए संविदात्मक उपलब्धियों में ₹237/- (पद के पे बैण्ड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) की रकम वार्षिक वृद्धि के रूप में अनुज्ञात की जाएगी।

(III) नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारीः

विभागाध्यक्ष (नियुक्ति प्राधिकारी का पदनाम) नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी होगा।

(IV) चयन प्रक्रियाः

संविदा नियुक्ति के मामलें में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, लिखित परीक्षा के गुणागुण तथा इन नियमों से संलग्न परिशिष्ट—। में यथा विनिर्दिष्ट रीति के अनुसार मूल्यांकन के आधार पर किया जाएगा या यदि, ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझा जाए तो लिखित परीक्षा के गुणागुण और इन नियमों से संलग्न परिशिष्ट—। में यथा विनिर्दिष्ट रीति के अनुसार मूल्यांकन तथा पूर्व में ली गई छंटनी परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार की) या व्यावहारिक परीक्षा या दक्षता परीक्षा या शारीरिक परीक्षण के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर/पाठ्यक्रम आदि, भर्ती अभिकरण अर्थात हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग, हमीरपुर द्वारा अवधारित किया जाएगा।

(V) संविदात्मक नियुक्तियों के लिए चयन समितिः

जैसी सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग, हमीरपुर द्वारा समय—समय पर गठित की जाए।

(VI) करार:

अभ्यर्थी को, चयन के पश्चात् इन नियमों से संलग्न परिशिष्ट—''II'' के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा।

(VII) निबन्धन और शर्तैः

- (क) संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति को ₹ 7910/- की दर से नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैण्ड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, आगे बढ़ाए गए वर्ष / वर्षों के लिए संविदात्मक रकम में ₹237/- की दर से (पे बैन्ड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) की वृद्धि का हकदार होगा और कोई अन्य सहबद्ध प्रसुविधाएं जैसे विरष्ट / चयन वेतनमान आदि नहीं दिया जाएगा।
- (ख) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्यपालन/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है, तो नियुक्ति पर्यवसित (समाप्त) किए जाने के लिए दायी होगी।

(ग) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, एक कलैंडर वर्ष में, एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकित्मक अवकाश, दस दिन के चिकित्सा अवकाश और पांच दिन के विशेष अवकाश के लिए हकदार होगा। संविदा पर नियुक्त महिला को दो जीवित बच्चों तक एक सौ पैंतीस दिन का प्रसूति अवकाश प्रदान किया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त महिला पूरी सेवा के दौरान, गर्भपात हो जाने सहित गर्भपात कराने की दशा में, प्राधिकृत सरकारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करने पर पैंतालीस दिन से अनधिक प्रसूति अवकाश (जीवित बच्चों की संख्या का विचार किए बिना) के लिए भी हकदार होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 आदि के लिए हकदार नहीं होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय अन्य किसी प्रकार का अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा:

अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश और विशेष अवकाश एक कलैण्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और आगामी कलैण्डर वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं किया जाएगा ।

(घ) नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना, कर्त्तव्य (ड्यूटी) से अनिधकृत अनुपिस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यवसान (समापन) हो जाएगा तथापि आपवादिक मामलों में जहां पर चिकित्सा आधार पर कर्तव्य से अनिधकृत अनुपिस्थिति के हालात संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के नियन्त्रण से बाहर हों तो वहां उसके नियमितीकरण के मामले में विचार करते समय ऐसी अविध अपवर्जित नहीं की जाएगी, किन्तु पदधारी को इस बाबत समय पर नियन्त्रक प्राधिकारी को सूचित करना होगा। तथापि, संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्त्तव्य से अनुपिस्थिति की ऐसी अविध के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगाः

परन्तु उसे सरकार के प्रचलित अनुदेशों के अनुसार चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी बीमारी/आरोग्य का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

- (ङ) संविदा के आधार पर नियुक्त पदधारी जिसने तैनाती के एक स्थान पर तीन वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया है आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण के लिए पात्र होगा, जहां कंही भी प्रशासनिक आधारों पर अपेक्षित हो।
- (च) चयनित अभ्यर्थी को सरकारी / रिजस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा। बारह सप्ताह से अधिक समय से गर्भवती महिला

अभ्यर्थी, प्रसव होने तक, अस्थायी तौर पर अनुपयुक्त बनी रहेगी। ऐसी महिला अभ्यर्थी का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी से उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण करवाया जाएगा।

- (छ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कर्त्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर जैसी नियमित प्रतिस्थानी पदधारी को पद के वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी।
- (ज) नियमित कर्मचारियों की दशा में यथा लागू सेवा नियमों जैसे कि एफ0आर0 एस0आर0, छुट्टी नियम, साधारण भविष्य निधि नियम, पेंशन नियम तथा आचरण नियम आदि के उपबन्ध संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों को लागू नहीं होंगे। संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों को लागू नहीं होंगे। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति व्यक्तियों) को कर्मचारी सामूहिक बीमा स्कीम के साथ–साथ ई. पी.एफ. / जी.पी.एफ. भी लागू नहीं होगा।

16 आरक्षणः

सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समय— समय पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों/अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य प्रवर्गों के व्यक्तियों लिए सेवा में आरक्षण की बाबत जारी किए गए आदेशों के अध्यधीन होगी।

17 विभागीय परीक्षा

ः लागू नहीं ।

18 शिथिल करने की शक्ति

जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, कारणों को लिखित में अभिलिखित करके, और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा, इन नियमों के किसी उपबन्ध (उपबन्धों) को किसी वर्ग या व्यक्ति (व्यक्तियों) के प्रवर्ग या पद (पदों) की बाबत, शिथिल कर सकेगी।

.....

| | 41414. A TANKA | |
|----|--|---------|
| | लिखित परीक्षा | 85 अंक |
| 1. | िलिखित परीक्षा में प्राप्तांकों की प्रतिशतता 85 अंको में से परिकलित की जानी है। | |
| | उदाहरणार्थ लिखित परीक्षा में 50 % अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को 42.5 अंक | |
| | दिए जाएंगे}। | |
| 2. | अभ्यर्थी का मूल्ययांकन निम्नलिखित रीति में किया जाना है:- | 15 अंक |
| | C(| 10 01 1 |
| | (i) भर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित न्यूनतम शैक्षिक अर्हता हेतु वरीयता। | |
| | =2.5 3 4 9 | |
| | शिक्षिक अर्हता में प्राप्तांकों की प्रतिशतता 0.025 से गुणा की जाएगी। उदाहरणार्थ, | |
| | किसी व्यक्ति ने अपेक्षित शैक्षिक अर्हता में 50 % अंक प्राप्त किए हैं, तो उसे 1.25 | |
| | | |
| | अंक अनुज्ञात किए जाएंगे (50 × 0.025=1.25)} | |
| | | |
| | (ii) यथास्थिति, अधिसूचित पिछड़े क्षेत्र या पंचायत से सम्बन्धित। | |
| | = 01 अंक | |
| | (iii) भूमिहीन कुटुम्ब / एक हेक्टेयर से कम भूमि वाले कुटुम्ब को संबद्ध राजस्व | |
| | प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जाएगा। | |
| | | |
| | = 01 अंक | |
| | (iv) इस प्रभाव का गैर—नियोजन प्रमाण पत्र कि कुटुम्ब का कोई भी सदस्य | |
| | सरकारी / अर्ध सरकारी सेवा में नही है। | |
| | = 01 अं क | |
| | (v) 40 % विकृति / निःशक्तता / दुर्बलता से अधिक वाले दिव्यांगजन। | |
| | = 01 3ip | |
| | | |
| | (vi) एन एस एस (कम से कम एक वर्ष)/एन सी सी में प्रमाण-पत्र धारक/भारत | |
| | स्काउट और गाइड / राष्ट्रीय स्तर की खेल स्पर्धाओं में पदक विजेता। | |
| | = 01 अंक | |
| | (vii) ₹40,000/- से कम या सरकार द्वारा समय—समय पर यथाविहित (समस्त | |
| | स्रोतो से) वार्षिक आय वाला बी. पी. एल. कुटुम्ब। 📁 😑 02 अंक | |
| | , | |
| | (viii) विधवा / तलाकशुदा / अकिंचन / एकल महिला। | |
| | 9 | |
| | = 01 अंक | |
| | (ix) इकलौती पुत्री / अनाथ | |
| | = 01 अंक | |
| | (x) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्था से आवेदित पद से संबंधित कम से | |
| | कम छह मास की अवधि का प्रशिक्षण। = 01 अंक | |
| | | |
| | (xi) सरकारी / अर्धसरकारी संगठन में, आवेदित पद से संबंधित, अधिकतम पांच वर्ष | |
| | | |
| | तक का अनुभव (प्रत्येक पूर्ण किए गए वर्ष के लिए केवल 0.05 अंक)= 2.5 अंक | |
| | | |

| आशुटंकव | क और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य | (नियुक्ति प्राधिकारी का पदनाम) के माध्यम |
|--------------|---|---|
| से निष्पारि | देत की जाने वाली संविदा / करार का प्ररूप। | |
| | यह करार श्री / श्रीमतिपुत्र / पुत्री | श्रीनवासी,संविदा |
| पर नियुव | क्त व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्रथम पक्षक | गर कहा गया है) और हिमाचल प्रदेश के |
| राज्यपाल, | ं, के मध्य,(नियुक्ति प्राधि | वेकारी का पदनाम) हिमाचल प्रदेश (जिसे |
| इसमें इस | तके पश्चात् द्वितीय पक्षकार कहा गया है) के मा | ध्यम से आज तारीख को |
| किया गय | मा । | |
| | द्वितीय पक्षकार ने उपरोक्त प्रथम पक्षकार को ल | ागाया है और प्रथम पक्षकार ने आशुटंकक |
| के रूप में | में संविदा आधार पर निम्नलिखित निबन्धन और शत | पर सेवा करने के लिए सहमति दी है:— |
| 1. | यह कि प्रथम पक्षकार आशुटंकक के रूप में | से प्रारम्भ होने औरको |
| 4 | समाप्त होने वाले दिन तक एक वर्ष की अवधि के | ह लिए द्वितीय पक्षकार की सेवा में रहेगा। |
| 7 | यह विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है औ | र दोनों पक्षकारों द्वारा करार पाया गया है |
| f | कि प्रथम पक्षकार की द्वितीय पक्षकार के साथ | संविदा, आखिरी कार्य दिवस् अर्थात् |
| | दिन को स्वयंमेव ही पर्यवसित | (समाप्त) हो जाएगी तथा सूचना नोटिस |
| 3 | आवश्यक नहीं होगा : | |
| | परन्तु संविदा अवधि में वर्षानुवर्ष अ | ाधार पर विस्तारण/नवीकरण के लिए |
| f | विभागाध्यक्ष यह प्रमाणपत्र जारी करेगा कि संविदा | पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण |
| 7 | वर्ष के दौरान सन्तोषजनक रहा है और वं | वेवल तभी उसकी संविदा की अवधि |
| , | नवीकृत / विस्तारित की जाएगी। | |
| 2. 3 | प्रथम पक्षकार की संविदात्मक रकम ₹7910/— प्रि | तेमास होगी। |
| 3. 3 | प्रथम पक्षकार की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर | होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का |
| ō | कार्यपालन/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है, तो | नियुक्ति पर्यवसित (समाप्त) किए जाने के |
| f | लिए दायी होगी। | |
| 4. | संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, एक कलैंडर वर्ष में, एक | मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक |
| f | दिन के आकस्मिक अवकाश, दस दिन के चिकि | न्त्सा अवकाश और पांच दिन के विशेष |

अवकाश के लिए हकदार होगा। संविदा पर नियुक्त महिला को दो जीवित बच्चों तक एक

सौ पैंतीस दिन का प्रसूति अवकाश प्रदान किया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त महिला पूरी

सेवा के दौरान, गर्भपात हो जाने सहित गर्भपात कराने की दशा में, प्राधिकृत सरकारी

चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर पैंतालीस दिन से अनिधक के प्रसूति अवकाश (जीवित बच्चों की संख्या का विचार किए बिना) के लिए भी हकदार होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 आदि के लिए हकदार नही होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय अन्य किसी प्रकार का अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा:

अनुपभुक्त आकिस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश और विशेष अवकाश एक कलैण्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और आगामी कलैण्डर वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं किया जाएगा ।

5. नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना, कर्त्तव्य (ड्यूटी) से अनिधकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यवसान (समापन) हो जाएगा तथापि आपवादिक मामलों में जहां पर चिकित्सा आधार पर कर्तव्य से अनिधकृत अनुपस्थिति के हालात संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के नियन्त्रण से बाहर हों तो वहां उसके नियमितीकरण के मामले में विचार करते समय ऐसी अविध अपवर्जित नहीं की जाएगी, किन्तु पदधारी को इस बाबत समय पर नियन्त्रक प्राधिकारी को सूचित करना होगा। तथापि, संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्त्तव्य से अनुपस्थिति की ऐसी अविध के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगाः

परन्तु उसे सरकार के प्रचलित अनुदेशों के अनुसार चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी बीमारी/आरोग्य का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

- 6. संविदा पर नियुक्त पदधारी जिसने तैनाती के एक स्थान पर तीन वर्ष का सेवाकाल पूर्ण कर लिया है, आवश्यकता के आधार पर, स्थानान्तरण के लिए पात्र होगा, जहां कहीं प्रशासनिक आधारों पर अपेक्षित हो।
- 7. चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रिजस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। बारह सप्ताह से अधिक समय से गर्भवती महिला अभ्यर्थी की दशा में प्रसव होने तक अस्थायी तौर पर अनुपयुक्त बनी रहेगी। ऐसी महिला अभ्यर्थी का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी से उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण करवाया जाना चाहिए।
- 8. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कर्त्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर जैसी नियमित प्रतिस्थानी पदधारी को पद के वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते / दैनिक भत्ते का हकदार होगा / होगी।

9. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (व्यक्तियों) को सामूहिक बीमा स्कीम के साथ—साथ ई.पी.एफ. / जी. पी.एफ. भी लागू नहीं होगा।

इसके साक्ष्यस्वरूप प्रथम पक्षकार और द्वितीय पक्षकार ने साक्षियों की उपस्थिति में इसमें सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख को अपने—अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं।

| साक्षियों की उपस्थिति में : | | | |
|-----------------------------|----------|---------|---------------|
| 1 | | | |
| (नाम व पूरा पता) 2 | (प्रथम | पक्षकार | के हस्ताक्षर) |
| (नाम व पूरा पता) | (द्वितीय | पक्षकार | के हस्ताक्षर) |

.....

(Authoritative English Text of the Department Notification No. Per (AP)-C-A (3)-2/2017, dated 18.12.2017 as required under clause (3) of article 348 of the Constitution of India).

Government of Himachal Pradesh Department of Personnel (AP-III)

No.Per (AP)-C-A (3)-2/2017 Dated: Shimla-171002, 18th December, 2017.

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the Common Recruitment and Promotion Rules for the post of Steno Typist, Class-III (Non-Gazetted) Ministerial Services in various Departments of the Government of Himachal Pradesh as per **Annexure-"A"** attached to this notification, namely:-

Short title, commencement and application.

- 1. (1) These rules may be called the Himachal Pradesh, Department of Personnel, Steno Typist, Class-III (Non-Gazetted), Ministerial Services, Common Recruitment and Promotion Rules, 2017.
 - (2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh.
 - (3) These rules shall be applicable to all the Government Departments of Himachal Pradesh, except Vidhan Sabha Secretariat, High Court of H.P. and H.P. Public Service Commission.

Repeal and savings

2.

- The (1)Himachal Pradesh, Department Personnel, Steno Typist, Class-III Gazetted) Common Direct Recruitment and Promotion Rules, 2011 notified vide this Department Notification No. Per.(AP)-C-A(3)-1/2010-I, dated 24.10.2011, and published in Himachal Pradesh Rajpatra, dated 04.11.2011 are hereby repealed.
 - (2) Notwithstanding such repeal, any appointment made or anything done or any action taken under the rules so repealed under sub-rule (1) supra, shall be deemed to have been validly made or done or taken under these rules.

By order,

Tarun Shiridhar Addl. Chief Secretary (Personnel) to the Government of Himachal Pradesh

RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF STENO TYPIST, CLASS-III (NON-GAZETTED) IN VARIOUS DEPARTMENTS OF HIMACHAL PRADESH.

| 1. | Name of Post | Steno Typist |
|----|---|---|
| 2. | Number of Post(s) | As sanctioned and may be sanctioned by the Government from time to time in the concerned Departments. |
| 3. | Classification | Class-III (Non-Gazetted) Ministerial Services. |
| 4. | Scale of Pay | I. Pay band for regular incumbent(s): (i) ₹5910-20200+ ₹2000 Grade Pay. (ii) ₹10300-34800+₹3200 Grade Pay after 2 years of regular service. II. Emoluments for Contract employee(s): ₹7910/-P.M. as per details given in Col. No.15-A. |
| 5. | Whether "Selection" post or "Non- Selection" post | Not applicable |
| 6. | Age for direct recruitment | Between 18 to 45 years: |

Provided that the upper age limit for direct recruits will not be applicable to the candidates already in service of the Government including those who have been appointed on adhoc or on contract basis:

Provided further that if a candidate appointed on adhoc or on contract basis had become over-age on the date he was appointed as such, he shall not be eligible for any relaxation in the prescribed age-limit by virtue of his such adhoc or contract appointment:

Provided further that upper age limit is relaxable for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other Backward Classes and Other categories of persons to the extent permissible under the general or special order(s) of the Himachal Pradesh Government:

Provided further that the employees of all the Public Sector Corporations and Autonomous Bodies who happened to be Government Servant before absorption in Public Sector Corporations/Autonomous Bodies at the time of initial constitution of such Corporations/Autonomous Bodies, shall be allowed age concession in direct recruitment as admissible to Government servants. This concession will not, however, be admissible to such staff of the Public Sector Corporations/Autonomous Bodies who were/are subsequently appointed by such Corporation/Autonomous Bodies and who are/were finally absorbed in the service of such Corporations/Autonomous Bodies initial constitution Public after of the Sector Corporations/Autonomous Bodies.

<u>Note</u>: Age limit for direct recruitment will be reckoned on the first day of the year in which the Post(s) is/are advertised for inviting applications or notified to the Employment Exchanges, as the case may be.

7. Minimum
Educational and other qualifications required for direct recruit(s):

(a) Essential Qualification(s):

- (i). Should have passed 10+2 examination from a recognized Board of School Education.
- (ii). Must possess the following speed in short-hand and typing on computers in both languages i.e. English and Hindi at the time of initial appointment: -

<u>Speed in Shorthand:</u> English: Hindi: 60 WPM 60 WPM

Speed in typing on Computer:

English: Hindi: 25 WPM 25 WPM

Provided that at the time of initial recruitment the candidate shall have to pass shorthand test in either of the language i.e. in Hindi or English at the prescribed speed:

Provided further that the candidates will have to pass typing test in both the languages at the time of initial recruitment:

Provided further that the incumbent having passed shorthand in one language, at the time of initial recruitment at the prescribed speed, shall have to pass the shorthand test in second language within a period of three years from the date of appointment. The appointment letter of such candidate who does not qualify the shorthand test in second language shall contain the specific condition that he shall have to pass the test in shorthand in second language within a period of three years and if he qualifies the test in shorthand test in second language within a period of three years he will be eligible to draw his annual increment from due dates and the candidate who qualifies the said test after three years will be eligible to draw first increment only from the date of qualifying the prescribed test.

- (iii) Should have the knowledge of word processing in Computer as prescribed by the recruiting authority.
- (b) Desirable Qualification(s):

Knowledge of customs, manner and dialects of Himachal Pradesh and suitability for appointment in the peculiar conditions prevailing in the Pradesh.

8. Whether age and educational qualification(s) prescribed for direct recruit(s) will apply in the case of the promotee(s):

Not applicable

| 9. | Period of Probation, if any: | [a] Two years subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing. [b] No probation in case of appointment on contract basis, tenure basis, reemployment after superannuation and absorption. |
|-----|---|--|
| 10. | Method(s) of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion/ secondment/ transfer and the percentage of post(s) to be filled in by various methods: | 100% by direct recruitment on regular basis or by recruitment on contract basis, as the case may be. |
| 11. | In case of recruitment by promotion/ secondment/ transfer, grade(s) from which promotion/ secondment/ transfer is to be made: | Not applicable. |
| 12. | | (a) Departmental Promotion Committee: Not Applicable. (b) Departmental Confirmation Committee: As may be constituted by the Government from time to time. |
| 13. | Circumstances under which the Himachal Pradesh Public Service Commission (HPPSC) is to be consulted in making recruitment: | As required under the Law. |

| 14. | Essential requirement for a direct recruitment: | A candidate for appointment to any service or post must be a citizen of India. |
|------|--|--|
| 15. | Selection for appointment to the post by direct recruitment: | Selection for appointment to the post in the case of direct recruitment shall be made on the basis of merit of written examination followed by evaluation as specified in Appendix-I appended to these rules, or if the Himachal Pradesh Public Service Commission or other recruiting agency/authority, as the case may be, so considers necessary or expedient on the basis of merit of written examination followed by evaluation as specified in Appendix-I appended to these Rules, preceded by a screening test (objective type) or practical test |
| | | or skill test or physical test, the standard/syllabus, etc. of which, will be determined by the Himachal Pradesh Public Service Commission/other recruiting agency/ authority, as the case may be. |
| 15-A | Selection for appointment to the post by contract appointment: | Notwithstanding anything contained in these rules, contract appointment to the post will be made subject to the terms and conditions given below:- (I) CONCEPT: (a) Under this policy the Steno Typist in(Name of the Department) H.P. will be engaged on contract basis initially for one year, which may be extendable on year to year basis: Provided that for extension/renewal of contract period on year to year basis the concerned HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the |

- contract appointee is satisfactory during the year and only then his period of contract is to be renewed/extended.
- (b) The HOD (Designation of the appointing authority) after obtaining the approval of the Government to fill up the vacant posts on contract basis will place the requisition with the concerned recruiting agency i.e. Himachal Pradesh Staff Selection Commission, Hamirpur.
- (c). The selection will be made in accordance with the eligibility conditions prescribed in these rules;

(II) CONTRACTUAL EMOLUMENTS

The Steno Typist appointed on contract basis will be paid consolidated fixed contractual amount @ ₹ 7910/- P.M. (which shall be equal to minimum of the pay band + grade pay). An amount of ₹ 237/- (3% of the minimum of pay band + grade pay of the post) as annual increase in contractual emoluments for the subsequent year(s) will be allowed, if contract is extended beyond one year.

(III)APPOINTING/DISCIPLINARY AUTHORITY

The Head of the Department (Designation of the appointing authority) will be the appointing and disciplinary authority.

(IV) SELECTION PROCESS:

Selection for appointment to the post in the case of contract appointment shall be made on the basis of merit of written examination followed by evaluation as specified in

Appendix-I appended to these rules, or if considered necessary or expedient on the basis of merit of written examination followed by evaluation as specified in appendix-I appended to these rules, preceded by a screening test (objective type) or practical test or skill test or physical test, the standard/ syllabus, etc. of which, will be determined by the concerned recruiting Himachal Staff agency i.e. Pradesh Selection Commission Hamirpur.

(V) <u>COMMITTEE FOR SELECTION OF</u> CONTRACTUAL APPOINTMENTS:

As may be constituted by the concerned recruiting agency i.e. Himachal Pradesh Staff Selection Commission, Hamirpur, from time to time.

(VI)AGREEMENT:

After selection of a candidate, he/she shall sign an agreement as per Appendix-II appended to these rules.

(VII) TERMS AND CONDITIONS:

- (a) The contractual appointee will be paid fixed contractual amount @ ₹ 7910/- P.M (which shall be equal to minimum of the pay band + grade pay). The contract appointee will be entitled for increase in contractual amount @ ₹237/-(3% of minimum of the pay band +grade pay of the post) for further extended years and no other allied benefits such as senior/selection scales etc. will be given.
- (b) The service of the Contract Appointee will be purely on temporary basis. The appointment

- is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found satisfactory.
- (c) The contract appointee will be entitled for one day's casual leave after putting one month's service, 10 days' medical leave and 5 days' special leave in a calendar year. A female contract appointee with less than two surviving children may be granted maternity leave for 135 days. A female contact appointee shall also be entitled for maternity leave not exceeding 45 days (irrespective of the number of surviving children) during the service. in case of entire miscarriage including abortion, on production of medical certificate issued by the authorized Government Medical Officer. A contract employee shall not be entitled for medical re-imbursement and LTC etc. No leave of any other kind except above is admissible to the contract appointee:

Un-availed casual leave, medical leave and special leave can be accumulated upto the calendar year and will not be carried forward for the next calendar year.

(d) Unauthorized absence from duty without the approval of the Controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. However, in exceptional cases where the circumstances for un-authorized absence from duty were beyond his/her control on medical grounds, such period shall not be excluded while considering his/her case for regularization but the

incumbent shall have to intimate the controlling authority in this regard well in time. However, the contract appointee shall not be entitled for contractual amount for this period of absence from duty:

Provided that he/she shall submit the certificate of illness/fitness issued by the Medical Officer, as per prevailing instructions of the Government.

- (e) An official appointed on contract basis who has completed three years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.
- Selected candidate will have to submit a (f) certificate of his/her fitness from Government/Registered Medical Practitioner. Women candidate pregnant beyond 12 weeks will stand temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate shall be re-examined for from authorized Medical fitness an Officer/Practitioner.
- (g) Contract appointee will be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular counterpart official at the minimum of pay scale.
- (h) Provisions of service rules like FRSR, Leave Rules, GPF Rules, Pension Rules and Conduct rules etc. as are applicable in case of regular employees will not be applicable in case of contract appointees. The

| | | Employees Group Insurance Scheme as |
|-----|-----------------------------|--|
| | | well as EPF/GPF will also not be applicable |
| | | to contract appointee(s). |
| 16. | Reservation: | The appointment to the service shall be subject |
| | | to orders regarding reservation in the service for |
| | | Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other |
| | | Backward Classes/ other categories of persons |
| | | issued by the Himachal Pradesh Government |
| | | from time to time. |
| 17. | Departmental Examination | Not applicable |
| 18. | Power to Relax | Where the State Govt. is of the opinion that it is |
| | | necessary or expedient to do so, it may, by order |
| | | for reasons to be recorded in writing and in |
| | | consultation with the Himachal Pradesh Public |
| | | Service Commission relax any of the provision(s) |
| | | of these rules with respect to any class or |
| | | category of person(s) or post(s). |

APPENDIX-I

| | APPENDI | <u> </u> |
|----------|---|----------|
| 1. | WRITTEN TEST | 85 |
| | {Percentage of marks obtained in written examination to be | marks |
| | calculated out of 85 marks. For example, a candidate getting | |
| | 50% marks in written examination will be given 42.5 marks}. | |
| 2. | Evaluation of candidate to be made in the following manner:- | 15 |
| ۷. | | |
| | i) Weightage for the minimum educational qualification, | marks |
| | prescribed in the Recruitment & Promotion Rules. | |
| | =2.5 Marks | |
| | {Percentage of marks obtained in the educational qualification | |
| | would be multiplied by 0.025. For example, an individual has | |
| | secured 50% marks in the required educational qualification, | |
| | he/she will be allowed 1.25 marks (50x0.025=1.25)} | |
| | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | |
| | ii) Belonging to notified Backward Area or Panchayat, as the | |
| | case may be. | |
| | =01 Mark | |
| | iii) Land less family/family having land less than 1 Hectare to | |
| | , | |
| | be certified by the concerned Revenue Authority. | |
| | =01 Mark | |
| | iv) Non-employment Certificate to the effect that none of the | |
| | family members is in Government/Semi-Government | |
| | service. | |
| | =01 Mark | |
| | v) Differently abled persons with more than 40% | |
| | impairment/disability/infirmity. | |
| | =01 Mark | |
| | | |
| | vi) NSS (alteast one year)/certificate holders in NCC/ The | |
| | Bharat Scout and Guide/Medal winner in National Level | |
| | sports competitions. | |
| | =01 Mark | |
| | | |
| | vii) BPL family having annual income (from all sources) below | |
| | ₹40,000/-or as prescribed by the Govt. from time to time. | |
| | =02 Marks | |
| | viii) Widow/divorced/destitute/single woman. =01 Mark | |
| | | |
| | ix) Single daughter/Orphan =01 Mark | |
| | x) Training of atleast 6 months duration related to the post | |
| | applied for from a recognized University/ Institution. | |
| | =01 Mark | |
| | xi) Experience upto a maximum of 5 years in Govt./Semi- | |
| | Govt. Organization relating to the post applied for (0.5) | |
| | marks only for each completed year) | |
| | =2.5 Marks | |
| <u> </u> | -2.5 Walks | |

Appendix-II

| Form of contract/agreement to be Typist and the Government of (Designation of the Ap | Himachal Pradesh | |
|--|---------------------------|-------------|
| This agreement is made on this | | in |
| the year | - | |
| S/o/D/o | | ŕ |
| ShriR/o | | |
| Contract appointee (hereinaf | ter called the FIRST PA | ARTY), AND |
| The Governor of Himachal Prad | esh through | |
| (Designation of the Appointing Autho | rity) Himachal Prades | h (here-in- |
| after referred to as the SECOND PARTY |). | |
| Whereas, the SECOND PARTY has eng | gaged the aforesaid FIR | ST PARTY |
| and the FIRST PARTY has agreed to | serve as a (Name of th | e post) on |
| contract basis on the following terms a | nd conditions:- | |
| 1. That the FIRST PARTY shall rem | ain in the service of the | e SECOND |
| PARTY as a (Name of | the post) for a period of | of one year |
| commencing on day of | and ending on t | the day of |
| It is specifically | mentioned and agreed | l upon by |
| both the parties that the contra | ct of theFIR | ST PARTY |
| with SECOND PARTY shall ipso- | acto stand terminated | on the last |
| working day i.e. on | and information n | otice shall |
| not be necessary: | | |
| Provided that for further | er extension/renewal o | of contract |
| period the HOD shall issue a | certificate that the se | ervice and |
| conduct of the contract appointed | e was satisfactory durir | ng the year |
| and only then the period of contr | act is to be renewed/ex | tended. |
| 2. The contractual amount of the | FIRST PARTY will be ₹ | 7910/-per |
| month. | | |
| 3. The service of FIRST PARTY wil | l be purely on tempor | cary basis. |
| The appointment is liable to | be terminated in | case the |
| performance/conduct of the co | ontract appointee is | not found |
| satisfactory. | | |
| 4. The contract appointee will be e | ntitled for one day's ca | ısual leave |

after putting one month's service, 10 days' medical leave and 5

days' special leave in a calendar year. A female contract appointee with less than two surviving children may be granted maternity leave for 135 days. A female contact appointee shall also be entitled for maternity leave not exceeding 45 days (irrespective of the number of surviving children) during the entire service, in case of miscarriage including abortion, on production of medical certificate issued by the authorized Government Medical Officer. A contract employee shall not be entitled for medical reimbursement and LTC etc. No leave of any other kind except above is admissible to the contract appointee:

Un-availed casual leave, medical leave and special leave can be accumulated upto the calendar year and will not be carried forward for the next calendar year.

5. Unauthorized absence from the duty without the approval of the Controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. However, in exceptional cases where the circumstances for un-authorized absence from duty were beyond his/her control on medical grounds, such period shall not be excluded while considering his/her case for regularization but the incumbent shall have to intimate the controlling authority in this regard well in time. However, the contract appointee shall not be entitled for contractual amount for this period of absence from duty:

Provided that he/she shall submit the certificate of illness/fitness issued by the Medical Officer, as per prevailing instructions of the Government.

- 6. An official appointed on contract basis who has completed three years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.
- 7. Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/Registered Medical Practitioner. In case of women candidates pregnant beyond twelve weeks will render her temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate shall be re-examined for fitness from an authorized Medical Officer/Practitioner.

- 8. Contract appointee shall be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular counter-part official at the minimum of pay scale.
- 9. The Employees Group Insurance Scheme as well as EPF/GPF will not be applicable to contractual appointee(s).

IN WITNESS the FIRST PARTY AND SECOND PARTY have herein to set their hands the day, month and year first, above written.

| IN TH | E PRESENCE OF WITNESS | S: |
|-------|------------------------|-------------------------------|
| 1. | | _ |
| | | |
| | (Name and Full Address | |
| | | (Signature of the FIRST PARTY |
| 2. | | |
| _ | (Name and Full Address | |
| | (| Signature of the SECOND PARTY |
